Ministry is bypassed. The Law Ministry has certain functions. The Law Ministry is not a legal adviser to public undertakings. The Law Ministry advises only various Ministries. Every public undertaking of this type is expected to have its own legal adviser. In this case there is a legal adviser. Whether in this case he was consulted or not, as I mentioned to the House, I will inquire into it.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY: In part (c) he says that as the audit objection was not accepted by the Oil & Natural Gas Commission, no action was taken against the officer. If the Legal Adviser did not accept the audit objection, would they not send it to the Law Ministry to scrutinise it, and would not responsibility for this defect be filed?

SHRI RAGHU RAMAIAH: I have already called for the report.

दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई योजनायें

+

*608 **श्री भारतसिंह चौहान :**
श्री रामसिंह अयरवाल :
श्री टी. पी शाह :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई ऐसी कौनसी योजनायें हैं जो इस समय उनके मंत्रालय में विचाराधीन हैं;

(ख) ये योजनायें कब भेजी गई थीं और अब वे किस अवस्था पर हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इन योजनाओं को निपटाने में बहुत अधिक समय लगाया जा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और उनके बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBALSINGH): (a) No scheme of the Delhi Administration is pending with the Ministry of Works, Housing and Supply.

(b) to (d): Do not arise.

श्री भारतसिंह चौहान : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस वक्त में जो योजनाएं विकास के लिए प्रशासन बना रहा है उस संबंध में प्रशासन ने केन्द्र से क्या कुछ सहायता मांगी है ? दिल्ली प्रशासन के विकास के लिए और उनकी कई योजनाएं जो इस तरह की हैं उस के लिए उन लोगों ने धन की सहायता या किसी और सहायता की मांग आप से की है ?

श्री इकबाल सिंह : स्कीम के मुताबिक तो कोई सहायता मांगी नहीं। कोई स्कीम हमारे पास है नहीं। अगर कोई खास बात कहें तो मैं पता लगा करके बता सकता हूँ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : नई दिल्ली की अदालत की जो इमारत खराब है जिसको लेकर वकील साहबान अभी आन्दोलन कर रहे थे क्या यह सच नहीं है कि दिल्ली प्रशासन ने उसके लिए नई इमारत बनाने के सिलसिले में एक योजना आप को भेजी है ? वह योजना क्यों खटाई में पड़ी है और वह इमारत कब तक बनेगी ?

श्री इकबाल सिंह : जहाँ तक नई दिल्ली की अदालतों की इमारत के संबंध में जो वकीलों की बात थी, वह तो खत्म हो गई लेकिन दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन ने अदालतों की इमारतों के लिए कोई स्कीम नहीं भेजी और न उन्होंने कुछ कहा है, अगर वह कहेंगे तो हम उनकी मदद करेंगे। सिर्फ उन्होंने यही कहा था कि चीफ आर्किटेक्ट जो सी० पी० डब्ल्यू० डी० के हैं वह सोचकर बताएं कि कहां यह बन सकती है। यह तो आफिसर की मदद का सवाल है। और कोई मदद भेजने का सवाल नहीं है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : वह आपके आफिसर ने मदद दी या नहीं ? आर्किटेक्ट ने क्या सिफारिश की ?

श्री इकबाल सिंह : आफिसर की मदद उन्होंने ली है इसके लिए कि वह इमारत कहां बननी चाहिए । हम ने आफिसर दे दिया और वह आफिसर उनको मदद पर है ।

Royalties on Crude oil

*610 SHRI GEORGE FERNANDES: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) the name of the parties receiving royalty on crude oil and gas produced by the Oil India Ltd.;

(b) the basis on which the royalty payments are made; and

(c) the amount of royalty paid annually since the company came into existence ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS(SHRI RAGHU RAMAIAH): (a) The Government of Assam.

(b) Before 1.11. 1962, the basis was as stipulated in the Petroleum Concession Rules, 1949, *viz.* 10% of well head value and after the said date, it was based on the Prime Minister's Award of 1962, at a rate of Rs. 7.50 per tonne of oil.

(c)

Year	Amount of Royalty (Rupees)
1959 (18.2.59 to 31.12.59)	23,92,473.60
1960	29,42,641.48
1961	33,24,376.08
1962	60,10,386.71
1963	56,85,700.86
1964	106,73,151.43
1965	132,30,749.74
1966	162,31,762,27
1967	208,71,415.15

श्री जार्ज फरनेन्डीज: अध्यक्ष महोदय, इस देश के अन्दर जो तेल है उस तेल को जमीन से बाहर लाया जाता है तो किसी सूबे को उस पर यह रायल्टी देने वाला जो तरीका सरकार ने अपनाया उस का क्या आधार है यह मंत्री महोदय बताएंगे ?

SHRI RAGHU RAMAIAH: Originally it was on the basis of the value at the well-head : 10 per cent of that. Now, it is changed. Since the Prime Minister's award, to Rs. 7. 50 per tonne.

श्री जार्ज फरनेन्डीज: यह मेरा प्रश्न नहीं था, मैं ने पूछा क्या आधार है, किसी बेसिस पर यह तय किया जाता है ? इस मुल्क में तेल जब किसी इलाके से निकालते हैं तो उस सूबे को उस की रायल्टी यह देनी चाहिए यह किस आधार पर आप तय करते हैं ?

MR. SPEAKER: On what basis ?

SHRI RAGHU RAMAIAH: It is because oil is found in that state.

श्री जार्ज फरनेन्डीज: वह रायल्टी किस बेसिस पर दी जाती है ?

श्री रवि राय: क्राइटीरिया क्या है ?

MR. SPEAKER: On fixing the royalty there, what is the criterion ? That is the question.

SHRI RAGHU RAMAIAH: The question can be either of these two: why royalty is paid in this case to Assam, or, what is the criterion, on what basis, whether on tonnage basis or on the well-head value basis.

SHRI GEORGE FERNANDES: What are the principles ?

SHRI RAGHU RAMAIAH: I am not aware of any theory about it, but as far as I am aware, wherever oil is found, the state concerned gets the royalty.

MR. SPEAKER: You are giving the royalty to the state, but on what basis: why is it Rs. 7. 50 and all that.

SHRI RAGHU RAMAIAH: I have said that it is now being paid on the basis of the tonnage actually produced; the quantum of oil actually produced; it is now Rs. 7. 50 per tonne. Previously it was on the basis of the value at the well-head. Whatever oil was produced, then 10 per cent of that value, that was the basis.